भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 2251

दिनांक 31.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारतीय प्रवासियों के लिए पुनर्वास सहायता

2251. श्री एम. के. राघवन:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने ऐसे भारतीय प्रवासियों का सटीक एवं रियल टाइम डाटाबेस तैयार अथवा संकलित किया है, जिनकी नौकरी छूट गई है या जो भारत लौटने के लिए विवश हुए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय अवगत है कि लौटने वाले भारतीय प्रवासियों के संबंध में आधिकारिक आंकड़ों के पूर्ण अभाव के कारण राज्य सरकारों को उनके प्रभावी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की योजनाएं बनाने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मंत्रालय फंसे हुए भारतीय नागरिकों की वास्तविक स्थिति तथा सुरक्षा की स्थिति के संबंध में रियल टाइम की अद्यतन जानकारी संबंधित राज्य सरकारों के साथ सक्रिय रूप से साझा करना सुनिश्चित करने के लिए कौन–कौन से ठोस संस्थागत तंत्र स्थापित किए जा रहे हैं?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) : हालांकि, भारत लौटने वाले भारतीय नागरिकों के बारे में जानकारी उनके लौटने की परिस्थितियों के आधार पर अलग–अलग स्रोतों से मिलती है, लेकिन सिर्फ़ नौकरी छूटने की वजह से भारत लौटने वाले प्रवासी भारतीयों का आंकड़ा स्वयं प्रवासियों द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है, इसलिए यह जानकारी आंशिक है। ईसीआर देशों की यात्रा करने वाले इमाइग्रेशन चेक रिक्वायर्ड (ईसीआर) पासपोर्ट धारकों के मामले में, उत्प्रवास मंज़ूरी

जारी होने के आधार पर भारत से जाने और वापस आने, दोनों समय भारतीय नागरिकों का आंकड़ा उपलब्ध होता है। हालाँकि, लौटने का कारण चाहे नौकरी छूटने की वजह से हो या किसी अन्य कारण से, इसमें दर्ज नहीं किया जाता है।

सरकार विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की संरक्षा, सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देती है। उनके कल्याण पर नज़र रखने के लिए, भारतीय मिशन/केंद्र भारतीय समुदाय के साथ लगातार संपर्क बनाए रखते हैं और विभिन्न प्रकार से उचित मदद पहुँचाते हैं, जैसे कि वॉक-इन सेवाएँ, ईमेल, बहुभाषी 24x7 आपातकालीन हेल्पलाइन और व्हाट्सएप। इसके साथ ही, मदद, सीपीजीआरएएमएस और ई-प्रवास पोर्टल जैसे संस्थागत शिकायत निवारण पोर्टल और सोशल मीडिया का भी प्रयोग किया जाता है, जिनकी निगरानी उच्च स्तर पर होती है। भारतीय नागरिकों से मिलने वाली शिकायतों और मदद की माँगों पर हर मामले के हिसाब से तीव्र कार्रवाई की जाती है।

सरकार विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों/ केंद्र के ज़रिए कामगारों सहित भारतीय नागरिकों के कल्याण पर बारीकी से नज़र रखती है और ज़रूरत पड़ने पर उनके भारत लौटने में मदद करती है। जहाँ भी लागू हो, स्थापित संस्थागत तंत्रों, जैसे कि भारतीय समुदाय कल्याण निधि (आईसीडब्ल्यूएफ), के ज़रिए सहायता प्रदान की जाती है।

विदेश से लौटे भारतीय प्रवासियों को पुनः बसाने की ज़िम्मेदारी उन राज्य सरकारों की है, जहाँ के वे रहने वाले हैं। विभिन्न राज्य सरकारों ने विदेश से लौटने वाले कामगारों को फिर से बसाने के लिए कई तौर-तरीके अपनाए हैं।

भारतीय मिशन और केंद्र भारतीय समुदाय और स्थानीय प्राधिकारियों से निरंतर संपर्क में रहते हैं और संकट में फंसे भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान करते हैं। आपातकालीन स्थिति में, मंत्रालय और उसके मिशन/ केंद्र आधिकारिक वेबसाइटों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और स्थापित संचार चैनलों के माध्यम से परामर्शी और अपडेट प्रसारित करते हैं, अन्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों और संबंधित एजेंसियों से समन्वय करते हैं, आवश्यकतानुसार, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, निकासी और स्वदेश वापसी की सुविधा प्रदान करते हैं। ओपन हाउस, कांसुलर कैंप और समर्पित आपातकालीन हेल्पलाइन के माध्यम से नियमित बातचीत से भी प्रभावित भारतीय नागरिकों को समय पर सूचना और सहायता मिलती है।

यदि मंत्रालय/मिशन भारतीय नागरिकों को वापस लौटने के लिए परामर्शी जारी करते हैं, तो यह मंत्रालय अन्य बातों के साथ-साथ, वास्तविक समय के आधार पर जानकारी साझा करने और फंसे हुए भारतीय नागरिकों की भारत वापसी की शीघ्र सुविधा के उद्देश्य से प्रयासों का समन्वय करने के लिए राज्य सरकारों के साथ तत्काल संपर्क स्थापित करता है।
